

गण्डा शासन  
संकेत विभाग  
गवर्नर

पत्रांक अधीक्षा शासन-462004  
दृष्टि- १५३ /८२/२०२१/२०-३

मोपाल, दिन १८/११/२०२१  
०२/८७/२४

सचिव  
रीडीवीएस०ई०,  
वहौ दिल्ली।

विषय- आवासकीय संख्या को रीडीवीएस०ई० वहौ दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
अवधित प्रमाण पत्र देवे जाएँ।

राज्य शासन एतद् द्वारा अवासकीय संख्या-८ विभिन्न स्थान व्यालियर, जिला-व्यालियर, मान्द्र० को रीडीवीएस०ई० वहौ दिल्ली से सम्बद्धता हेतु  
अवधित प्रमाण पत्र विभालिक्षित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (१) केन्द्रीय आवधित प्रक्रिया मान्द्र० का अन्व बोर्ड से सम्बद्धता निर्देशों के उपरांत भी मध्यप्रदेश आवधित एवं उच्चतर आवधित शालाओं की आवासकीय संख्या-८ विभालियर, २०१७ में दिये गये प्राधान्यों का पालन किया जाएगा।
- (२) विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय की प्रबंधन रामिति में संभालीय संख्यत संचालक, लोक शिक्षण तथा उल्लेख द्वारा नामांकित एक प्रतिविधि को संदर्भ के रूप में नामांकित करना होगा तथा प्रबंधन समिति की बैठकों में शासकीय सदस्य की उपरिवर्ति अधिकारी होगी।
- (३) संख्या द्वारा प्रदेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा विभालित शुल्क वाला-जाला प्रकाशित किये जाएंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जाएगा।
- (४) संख्या विभिन्न अवलोकन पर छात्रों के आयोजित होने वाले व्याख्यातिक एवं शोलांग वार्षिक तथा अवृष्टि छात्र-शिक्षणों की अवधियियों के लिये लोल का गोदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संख्या हो वयन पत्र लिया जाए।
- (५) संख्या द्वारा प्रदेश के गोल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विद्युत मेलों आदि के आयोजन में सहयोग एवं रार्किं भूमिका प्रदान की जाएगी।
- (६) विभालित छात्रों के लिये संख्या को ऐप्प की घावस्या करना आवश्यक होगा। संख्या विभालित छात्रों को प्रदेश देजे से इच्छार नहीं कहेगी। इस संबंध में प्राप्त विकायत यादि रिट्रॉ वाई गर्जू तो संख्या का आवासकीय प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।



Ajay Singh  
Principal  
The Scindia School  
Fort, Gwalior-474008

विरुद्धता-२

- //२//
- (७) अवृष्टि शालाओं में जगते वाटी पुरातके एवं लेखन सामग्री जूले वाजार ले कव्य करने की गुणिया रहेंगी। विभालित विशेष से करने करने की आवश्यता नहीं रहेगी।
  - (८) संख्या के छात्रों को उनके विद्यास से विद्यालय तक जाने एवं विभालियर भेजने के लिये परिवहन विभालियर द्वारा दी गई उम्मीदें प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे व्यवस्थाशील राष्ट्र जैसे एरिलू, एल०पी०जी० आदि से ट्रांसलिंट नहीं किया जायेगा। शिक्षण रंख्या में जाव० उच्चतर आवश्यक व्यायालय द्वारा दिये गये लिंटेशों के अनुसार कियाशील अविल-हामल छात्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भावत सरकार द्वारा शैक्षणिक संख्याओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले लिंटेशों का पालन भी करवा होगा।
  - (९) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में रूक्त शिक्षा विभालियर व परिवहन विभालियर द्वारा समय-समय पर जारी लिंटेशों का पालन करना होगा।
  - (१०) संख्या के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देवे वाली किसी पुरातकों का संचाहन नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्धित पुरातकों भी नहीं रखी जा सकेंगी।
  - (११) संख्या के संचालन में अविवरितता की हिकायत प्राप्त होने पर विभालियर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संख्या का विरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
  - (१२) संख्या के संचालन में अविवरितता की हिकायत प्राप्त होने पर विभालियर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संख्या का विरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
  - (१३) विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में प्रदेश के लिये वाली तथा गाता-पिता जाला अविभावकों को किसी भी प्रकार की रकीबिय प्रक्रिया नहीं अपनाएगा।
  - (१४) रांचीरित विद्यालय द्वारा तैयार शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक अगले की सेवा शर्ते जो कि राज्य शासन के समरूप होनी चाहिए के पालन न होने की हितती जै संबंधित संभालीय संख्यत संचालक, लोक शिक्षण आवश्यक करवाही हेतु सहम होंगे।
  - (१५) सम्यक विरीक्षण के पश्चात एक वार आवश्यता प्रदान कर दिये जाने पर सोसायटी/ट्रस्ट आवश्यता के समय दावाकृत किसी भी आपदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा। स्थल शिक्षा विभालियर के अधिकारी किसी भी समय रूक्त परिवर्त का विरीक्षण कर सकते हैं, यदि विरीक्षण के समय यह पाठ जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट किसी भी आपदण्डों का पालन नहीं कर रहा है तो संभालीय संचालक, लोक शिक्षण को आवश्यता विभालियर, २०१७ के लिये-११ के द्वारा विभालियर-१ के विविरित प्रक्रिया का.....



विरुद्धता-३



//M/

अधिकारी नवरोहन द्वारा आवश्यक विभिन्नता का सौ और प्रश्नात्मकी  
इसी वापिस लिये गये जारी शक्ति होती।

उपर्युक्तानुसार शक्ति का पालन व वापरे पर वही अवाधिता इमारात एवं  
विद्या जा रखेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
लगा आदेशानुसार,

०५०  
३१। १२।२।  
(प्रभोद सिंह)

उप सचिव

म०प्र०शासन, उच्चतम् शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक- ५/पु।/७५२/२०२१/२०-३

भोपाल, दि ० १०/२०२१

उल्लेखित-

०२/०५/२१

- (१) विशेष राज्यालय, मानव राज्यमंडी (स्वतंत्र इमार), उच्चतम् शिक्षा विभाग,  
भोपाल।
  - (२) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
  - (३) सचिव, भार्यानिक शिक्षा अधिकारी, म०प्र० भोपाल।
  - (४) लंगुका संचालक, लोक शिक्षण संभाग ..... , म०प्र०।
  - (५) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-व्यालियर, म०प्र०।
  - (६) प्राधार्य, अशासनीय संस्था-द सिंधिया उच्चतम् व्यालियर, जिला-व्यालियर,  
म०प्र०।
  - (७) कौल्डर प्रति,
- रूपान्वय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्यक्षित।

०५०  
३। १। २।  
उप सचिव

म०प्र०शासन, उच्चतम् शिक्षा विभाग

  
Ajay Singh  
Principal  
The Scindia School  
Pant, Gwalior-474008

